समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(जनहित याचिका) रिट याचिका क्र. **4391/2004**

<u>याचिकाकर्तागण:</u>

1. कु. ए. इन्द्रा, पिता श्री ए. वेंकट, आयु लगभग 33 वर्ष.

2. मनोहर जेठानी, पिता स्व. डॉ. वरियालदास जेठानी, आयु लगभग 38 वर्ष,

— दोनों निवासी: गणेशराम नगर, बांस टाल, अमरदीप टॉकीज़ रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. संतोष कुमार मिश्रा, पिता स्व. श्री आर.सी. मिश्रा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी: नंदी चौक, टिकरापारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>:

1 छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. सचिव, गृह विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. आयुक्त, नगर निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. शेख मकबूल कुरैशी, पिता श्री शेख जेमन, आयु लगभग 40 वर्ष,

निवासी – पंडरी बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

5. (**illegible**) पिता श्री मोहम्मद हनीफ़, आयु लगभग 40 वर्ष,

निवासी – फाफाडीह बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

6. मदनलाल सिंह, पिता श्री हरनंदास, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी-टाटीबंध, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

7. कुंजलाल दंगर, पिता श्री टनापारे, (**illegible**) निवासी – नटरी बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

8. तुमर सिंह पाल, पिता श्री कर्तिकराम, आयु लगभग 68 वर्ष,

निवासी – टिकरापारा, हाटरी बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला- रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. समी अफसर कुरैशी, पिता श्री सैयद रमज़ान, आयु लगभग 42 वर्ष,

निवासी – नेहरू नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

10. शेख वहीद, पिता श्री शेख महमूद, आयु लगभग 48 वर्ष,

निवासी – विवेकानंद आश्रम,रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

11 शेख बाजी, पिता श्री शेख दाऊद, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी – अस्पताल वार्ड, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

12. सुश्री ममता पाल, पिता श्री राजू पाल, आयु लगभग 35 वर्ष,

निवासी – श्यान नगर, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

13. शेख गौस कुरैशी, पिता श्री शेख इब्राहिम, आयु लगभग 27 वर्ष,

निवासी – पंडरी बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

14. मोहम्मद इक़राम कुरैशी, पिता श्री मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी, आयु लगभग 28 वर्ष,निवासी – गंज बाज़ार, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

15. अल्ताफ क़न्ना, पिता श्री सैयद रमज़ान, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – मौहदापारा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

16. मोहम्मद जावेद, पिता श्री ग़ुलाम नबी, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – विवेकानंद आश्रम, आदर्श बाज़ार, ईदगाह बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

17. ग़ुलाम रसूल, पीता श्री ग़ुलाम नबी, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी – फाफाडीह बाज़ार,रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. शेख ख़लील, पिता श्री शेख दाऊद, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी – कटोरा तालाब, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

19. शेख शफ़ी कुरैशी, पिता श्री शेख रफ़ी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी – कटोरा तालाब, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

20. पिता श्री (**illegible**) बाबा जानी, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी – सरानी चौक, लाखे नगर, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

21. फिरोज कुरैशी, पिता श्री मोहम्मद इनउद्दीन, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – अश्विनी नगर, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

22. शेख इस्राईल, पिता श्री शेख इस्माईल, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी – महुआ बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

23. शेख हुसैन, पिता श्री शेख छोटे, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी –

तेलीबांधा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

24. दीपक कुमार पाल, पिता श्री बहादुर सिंह, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी – टिकरापारा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

25. प्रभाकर राव सावरकर, पिता श्री चतुर राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी – टाटीबंध रोड, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

26. अमीर कुरैशी, पिता श्री शेख अमीन, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी – नेहरू नगर, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

27. मुन्ना पाल, पिता श्री पंचम, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी – टाटीबंध, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. नैन सिंह पाल, पिता श्री बिहारीलाल, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी – राजेन्द्र नगर, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

29. इब्राहीम कुरैशी, पिता स्वर्गीय श्री इस्माईल, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी – शंकर नगर, खम्हारडीह, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

30. शेख आलम, पिता श्री शेख मोइनुद्दीन, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी – संजय नगर ,रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

31. नावास कुरैशी, पिता श्री शेख बशीर कुरैशी, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – तेलीबांधा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

32. सदीक हुसैन, पिता श्री जद्दा, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी – गुढ़ियारी, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

33. शेख सलीम कुरैशी, पिता श्री शेख मुनीर, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी – लोधीपारा चौक, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

34. मोहम्मद ज़कीर हुसैन, पिता श्री मोहम्मद ज़ाबिर हुसैन, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी – मौदहापारा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

35. मोहम्मद आरिफ कुरैशी, पिता श्री शेख अहमद, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – कोटा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

36. शेख हामिद, पिता श्री शेख महबूब, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी – बैरन बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. शेख हबीब कुरैशी, पिता श्री शेख महबूब, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी – बैरन बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

38. आबिद हुसैन, पिता श्री मोहम्मद जद्दा, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी – पड़री बाज़ार, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

39. जुबेर अहमद, पिता श्री जद्दू, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – मौहदापारा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

40. जावेद अहमद पिता श्री , आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी – राजा तालाब, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

41. शेख मन्नान, पिता श्री उस्मान, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी – पंडरी रेलवे लाइन, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

42. शेख अज़ीज़, पिता श्री शेख छोटे, आयु लगभग 40 वर्ष,

निवासी – गुढ़ियारी, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

43. शेख वहीद, पिता श्री शेख करीम, आयु लगभग 50 वर्ष,

निवासी – तेलीबांधा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

44. शेख कबीर, पिता श्री उस्मान, आयु लगभग 25 वर्ष,

निवासी – बंडरी, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

45. मोहम्मद सलीम कुरैशी, पिता श्री मुनिर कुरैशी, आयु लगभग 35 वर्ष,

निवासी – लोधीपारा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

46. मोहम्मद बिलाल कुरैशी, पिता श्री मोहम्मद ग़ुलाम नबी, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी – सरानी चौक, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. शेख बाबा जानी, पिता श्री छग्गन कुरैशी, आयु लगभग 65 वर्ष,

निवासी – नेहरू नगर चौक, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

48. शेख असीम, पिता श्री शेख क़मर कुरैशी, आयु लगभग 26 वर्ष,

निवासी – न्यू शास्त्री मार्केट, बैरन बाज़ार, बांसताल, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

49. शेख अज्जू कुरैशी, पिता श्री शेख करीम, आयु लगभग 35 वर्ष,

निवासी – गुढ़ियारी, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

50. मोहम्मद इस्माइल, पिता श्री शेख अहमद, आयु लगभग 35 वर्ष,

निवासी – बैजनाथपारा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

51. मोहम्मद उस्मान, पिता स्वर्गीय श्री शेख उमर, आयु लगभग 57 वर्ष,

निवासी – बैजनाथपारा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

52. मोहम्मद इब्राहिम, पिता स्वर्गीय श्री शेख अहमदी कुरैशी, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी – बैजनाथपारा, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

53. (**illegible**), निवासी – हाउस बांसताल, अमरदीप टॉकीज़ रोड, रायपुर तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

••••••••••••

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष— उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(युगल पीठ)

कोरम: माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सं. **4391/2004**

कु. ए. इन्द्रा एवं दो अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका सं. **4251/2005**

छत्तीसगढ़ पोल्ट्री डीलर एसोसिएशन सोसायटी

बनाम

नगर निगम, रायपुर एवं अन्य

उपस्थित अधिवक्ता:

याचिकाकर्ताओं की ओर से. : श्री वीरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता तथा डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री गौतम भदुडी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से : श्री सुमेश बाजाज, शासकीय अधिवक्ता।

नगर निगम रायपुर की ओर से : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल, के साथ कु. शिप्रा विश्वास, अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

<u>(दिनांक: **19** सितंबर **2005**)</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया :

रिट याचिका संख्याः 4391/2004 एक जनहित याचिका है, जिसे रायपुर नगर के तीन नागरिकों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह अभिव्यक्त किया है कि रायपुर नगर स्थित जवाहर मार्केट नगर के हृदय स्थल पर स्थिति है, जहाँ प्रतिदिन राज्यभर के सहस्रों नागरिकों का आवागमन होता है। तथापि, उक्त बाज़ार परिसर में पशुओं का वध खुलेआम किया जाता है तथा पशु-अवशेषों को इधर-उधर खुले स्थानों पर फेंक दिया जाता है, जिससे समस्त परिसर में दुर्गंध व्याप्त रहती है। इसके अतिरिक्त, आवारा कुत्ते इन पशु-अवशेषों को लेकर आपस में संघर्ष करते हैं, जिससे बाज़ार में आगंतुक जनसामान्य का जीवन संकटापन्न होता है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि रायपुर नगर निगम के आयुक्त को बारम्बार यह निवेदन किया

गया कि वे छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 (संक्षेपतः "अधिनियम") की धारा 255 तथा धारा 257 के प्रावधानों को प्रभावशील रूप से लागू करें, एवं यह सुनिश्चित करें कि पशुवध, मांस, मुर्गी, मछली तथा अण्डा विक्रय का व्यवसाय केवल अधिकृत स्थलों पर, विधिसम्मत रूप से, सक्षम अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त कर ही किया जाए। तथापि, उक्त सभी अनुरोधों के उपरांत भी रायपुर नगर निगम द्वारा उक्त व्यवसाय को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) रिट याचिका संख्या 4251 / 2005 छत्तीसगढ़ पोल्ट्री डीलर एसोसिएशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता संस्था का प्रमुख प्रतिपादन यह है कि नगर पालिक निगम, रायपुर के उसके सदस्यगण द्वारा रायपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे अण्डा एवं मुर्गी विक्रय व्यवसाय को बलपूर्वक बंद करने हेतु दमनकारी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। याचिका में यह भी दर्शाया गया है कि विगत 30 से 40 वर्षों से मांस एवं मुर्गी के विक्रय का व्यवसाय जवाहर नगर, रायपुर के भीतर संचालित होता रहा है, किन्तु रायपुर नगर की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप मुर्गी एवं अण्डों की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और विगत 20 वर्षों से तेलीबांधा क्षेत्र भी एक विकसित मुर्गी बाजार के रूप में विकसित हो गया है। याचिकाकर्ता संस्था का यह भी कथन है कि उसके सदस्यगण उक्त मुर्गी एवं अण्डा विक्रय व्यवसाय के माध्यम से अपना जीवनयापन कर रहे हैं, और यदि नगर निगम रायपुर के अधिकारियों द्वारा उनके उपरोक्त वर्णित व्यवसाय को इस प्रकार से बंद कर दिया जाता है, तो इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 , अनुच्छेद 39(क) , अनुच्छेद 19(1)(ग) तथा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक एवं निदेशात्मक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होंगे ।

(4) संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप न किया गया हो। यदि नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रांतर्गत मुर्गी एवं अण्डा विक्रय के व्यवसाय को बंद कर रहा है, तो न्यायालय यह समझ पाने में असमर्थ है कि याचिकाकर्ता-संस्था के सदस्यगण के जीवन एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्वतंत्रता के अधिकार पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 39(क), यह निर्देश देता है कि राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करे जिससे कि प्रत्येक नागरिक, महिला एवं पुरुष को सामान्य रूप से पर्याप्त आजीविका के साधन प्राप्त हो सकें, इसका प्रावधान संविधान के द्वारा भाग 4 से लिया गया हैं और यह राज्य के निति निर्देशक तत्व हैं और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 41 यह कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमा के भीतर, रोज़गार, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, विशेषतः बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, रोग अथवा विकलांगता अथवा अन्य आवश्यक स्थितियों में। यह भी एक निदेशक सिद्धांत है तथा न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। किसी भी दशा में, संविधान के अनुच्छेद 39(क) एवं अनुच्छेद 41 के उपर्युक्त प्रावधानों इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, जहाँ याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके सदस्यों को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मुर्गी एवं अण्डा विक्रय व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इस प्रकरण में जो संवैधानिक प्रावधान वास्तव में लागू होता है, वह है अनुच्छेद 19(1)(छ), जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उद्यम अथवा कोई भी उपार्जन का कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 19(6) में यह स्पष्ट रूप से उपबन्धित है कि अनुच्छेद 19(1)(छ) में निहित अधिकार को न्यायोचित सीमा में प्रतिबंधित किया जा सकता है, यदि ऐसा प्रतिबंध किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत अधिरोपित किया गया हो अथवा राज्य द्वारा नवीन विधि निर्माण के माध्यम से सार्वजनिक हित में निर्धारित किया गया हो। अतः, भले ही याचिकाकर्ता-संस्था के सदस्य रायपुर नगरनिगम क्षेत्र में मुर्गी एवं अण्डा विक्रय के खुदरा व्यवसाय को संचालित करने का अधिकार रखते हों, तथापि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अधीन यह वैधानिक सामर्थ्य प्राप्त है कि वह सार्वजनिक हित में उक्त अधिकार के प्रयोग पर यथोचित एवं उचित प्रतिबंध अधिरोपित कर सके।

(6) बॉम्बे हॉकर्स यूनियन बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ए.आई.आर 1985 एस.सी 1206 के प्रकरण में यह विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या किसी फेरीवालेको सार्वजनिक सड़कों पर बैठकर व्यापार या व्यवसाय करने का मूल अधिकार प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अधिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक सड़को, उनकी परिभाषा के नाप और से, जनसामान्य के उपयोग हेतु होती हैं, न कि व्यक्तिगत व्यापार अथवा व्यवसाय हेतु। यदि फेरीवालों को उनके द्वारा दावा किया गया अधिकार इस रूप में मान्यता दे दी जाए, तो वे व्यस्त मार्गों पर बैठकर समस्त नागरिक जीवन को बाधित कर सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बंधक बना सकते हैं उक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि-सिद्धांतों का विवेचन करने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन एवं अन्य बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम एवं अन्य, 2003 ऐ आई आर एस डब्लू सी में यह निष्कर्ष दिया कि यद्यपि फेरीवालों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है, तथापि यह अधिकार अनुच्छेद 19(6) के अधीन यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि संकीर्ण मार्गों में जहाँ यातायात की निर्बाधता अथवा पैदल यात्रियों की आवाजाही बाधित होती है, वहाँ फेरी व्यापार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार, सुरक्षा कारणों, चिकित्सालयों, उपासना

स्थलों आदि के निकट भी फेरी व्यापार प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थान पर ही व्यवसायकरने का दावा प्रस्तुत कर सके।

(7) तथापि, बॉम्बे हॉकर्स यूनियन बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (उपर्युक्त) तथा महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन एवं अन्य बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर मुंबई एवं अन्य (उपर्युक्त)—दोनों प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि यदि फेरी व्यवसाय को समय, स्थान एवं परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप सुनियोजित एवं विनियमित रूप में संचालित किया जाए, तो यह व्यवसाय जनसामान्य की सुविधा एवं हित में सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे दैनिक उपयोग की सामान्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वस्तुएँ अपेक्षाकृत कम मूल्य पर आम नागरिकों को सुलभ हो पाती हैं। हम इस संदर्भ में यह जोड़ना उचित समझते हैं कि फेरीवालों द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुएँ सामान्यतः बाजार अथवा प्रतिष्ठानों की तुलना में अत्यल्प मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं, जिसका कारण यह है कि फेरी विक्रय में पूंजीगत व्यय न्यूनतम होता है, जबकि बाज़ार क्षेत्र अथवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान किराये पर लेने में वृहद आर्थिक व्यय संलग्न होता है। प्रत्येक नागरिक के लिए यह आर्थिक रूप से संभव नहीं है कि वह शॉपिंग हॉल अथवा व्यवस्थित बाज़ार में किराये पर प्रतिष्ठान स्थापित कर सके। ऐसे आर्थिक दृष्टि से सीमित साधनों वाले व्यक्तियों के लिए फेरी व्यापार ही आजीविका का एकमात्र साधन हो सकता है। अतः यह अपेक्षित है कि नगरनिगमों को चाहिए कि वे ऐसे फेरीवालों के व्यवसाय संचालन हेतु उपयुक्त स्थानों की पहचान कर, जहाँ उनकी गतिविधियाँ जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हों, नियमनबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराएँ ताकि यह व्यवसाय विधिसम्मत एवं सामाजिक रूप से संतुलित स्वरूप में जारी रह सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) वस्तुतः, हम यह पाते हैं कि अधिनियम की धारा 255 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी स्थल पर, जो नगर निगम का अधिकृत अथवा अनुज्ञप्त बाजार न हो, मानव उपभोग हेतु किसी भी पशु, मांस या मछली का विक्रय अथवा विक्रय के उद्देश्य से प्रदर्शित नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि पशु अथवा मांस या मछली के विक्रय को पूर्णतः निषिद्ध नहीं किया गया है, अपितु निर्दिष्ट स्थलों पर एवं नगर निगम द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्र की शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार, धारा 257 में उन विशिष्ट स्थलों का उल्लेख किया गया है जहाँ पशु वध अथवा विक्रय किया जा सकता है। उक्त धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर निगम द्वारा अधिगृहीत स्थलों पर पशु वध या मांस विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है, एवं यदि वधशाला अथवा विक्रय स्थल नगरनिगम की संपत्ति हो, तो निगम को उपयुक्त शुल्क या किराया वसूलने का अधिकार होगा। यह स्पष्टतया इस तथ्य की पुष्टि करता है कि छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 के अधीन पशु वध एवं मांस/मछली विक्रय को

पूर्ण रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है, अपितु यह केवल नियत स्थानों पर और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन विनियमित रूप में अनुमन्य है।

(9) रायपुर नगर तीव्र गति से विकास हो रहा है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और जनसंख्या के इस विस्तार के साथ नगरवासियों की विविध आवश्यकताओं की माँग —विशेषतः मांस, मुर्गी एवं अंडों कीभी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही है। स्पष्ट है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को यह नहीं कहा जा सकता कि वे नगर निगम क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी इन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जब तक कि ऐसा कोई वैध विधिक उपबंध न हो जो रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत चिकन एवं अंडों के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करता हो। जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत, यह रायपुर नगर निगम का दायित्व बनता है कि वह नगर क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों को चिन्हित करे, जहाँ चिकन एवं अंडों का विक्रय नगर निगम द्वारा प्रदत्त विधिवत अनुज्ञापत्र के अधीन किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत याचिकाकर्ता-संघ के सदस्यों सहित प्रत्येक नागरिक को प्राप्त व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का हनन न हो, और साथ ही साथ यह व्यवसाय जनहित में विधिपूर्वक विनियमित रूप से अनुच्छेद 19(6) की मर्यादाओं के भीतर संचालित हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) अतः, हम यह निदेश देते हैं कि याचिकाकर्ता-संघ के सदस्यगण, यदि वे मुर्गी एवं अंडों के विक्रय का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो रायपुर नगर निगम के आयुक्त के समक्ष अनुज्ञप्ति हेतु विधिपूर्वक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे आवेदनों के प्राप्त होने पर, नगर निगम आयुक्त, रायपुर, उक्त आवेदनों पर विचार करते हुए, छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 तथा उक्त अधिनियम की धारा 366 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों से संबंधित कोई नियम या उपविधियाँ यदि निर्मित हों, तो उनके अधीन नियत विधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय पारित करेंगे। यह निर्णय आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम दो माह की अवधि के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य होगा। हम रायपुर नगर निगम तथा नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित करते हैं कि वे यह सुनिश्चित

करें कि उक्त अधिनियम की धारा 255 एवं 257 के समस्त प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। यदि कोई व्यक्ति धारा 255 अथवा 257 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए, तो उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विधि के अनुसार अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

(11) उपर्युक्त सभी निर्देशों के आलोक में, वर्तमान रिट याचिकाएँ न्यायालय द्वारा यथोचित निर्देशों सहित निराकृत की जाती हैं।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava, Advocate